

# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

वीरवार, 01 अगस्त, 2024 / 10 श्रावण, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

**REVENUE DEPARTMENT** (Stamp-Registration)

**NOTIFICATION** 

Shimla-02, the 21st June, 2024

**No.Rev-1-3(Stamp) 2/88-IV.**—In exercise of the powers conferred upon him under clause (d) of Sub- Section (1) of Section 168 of Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1953 (Act No. 6 of

1954), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that "The Copying Agency Rules for the office of Financial Commissioner (Revenue and Appeals) 1993," shall also be applicable to the offices of Divisional Commissioners' of (H.P.).

By order,

Sd/-(ONKAR CHAND SHARMA), Addl. Chief Secretary (Revenue).

## राजस्व विभाग

## अधिसूचना

शिमला-02, 18 जून, 2024

संख्याः रैव—डी(जी)7—10/2023.—हिमाचल प्रदेश सरकार को यह प्रतीत होता है कि ग्राम कुटंग, महाल जंगी, तहसील मूरंग, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश में अवस्थित 0—05—65 हैक्टेयर कुल भूमि हिन्दुस्तान तिब्बत सड़क के पास 394.800 (राष्ट्रीय उच्च मार्ग—05) में दीवार सन्निर्माण के लिए अपेक्षित है।

उपायुक्त किन्नौर के सहायक उपायुक्त, को प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए 'प्रशासक' नियुक्त किया गया है। अतः यह अधिसूचित किया जाता है कि तहसील मूरंग, जिला किन्नौर के ग्राम कुटंग, महाल जंगी, तहसील मूरंग, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश में उक्त प्रयोजन के लिए 0–05–65 हैक्टेयर भूमि का एक टुकड़ा, जिसका विवरण निम्नलिखित है, को अर्जित किया जाना अपेक्षित है:—

## भूमि की अनुसूची

निजी भूमि								
ग्राम कुटंग, मोहाल जंगी, तहसील मूरंग, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश								
क्रं0 स0	महाल	तहसील	जिला	खेवट	खतौनी	खसरा नम्बर रकवा		
	का			संख्या	संख्या	(हैक्टेर		(हैक्टेयर
	नाम							में)
1.	कुटंग	मूरंग	किन्नौर	57 मिन	77 मिन	338/316	338/316/1	0-02-03
2.						340/317	340/317/1	0-01-80
3.				55 मिन	75 मिन	339/317	339/317/1	0-00-77
4.						359/342/318	359/342/318/1	0-01-05
							कित्ता—04	0-05-65

यह अधिसूचना, उन सभी जिनसे यह सम्बन्धित है हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 के उपबन्धों के अधीन की गई है।

भू—विवरण एवं योजना का भू—अर्जन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, पूह, जिला किन्नौर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा।

सरकार, उपायुक्त किन्नौर और उसके कर्मचारिवृन्द को भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि को समतल करने, खुदाई करने और अवमृदा का भेदन करने और समस्त अन्य कार्यों, जो उक्त अधिनियम की धारा—12 के अधीन यथाउपबन्धित कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित हो, करने हेतु अधिकृत करती है। अधिनियम की धारा—11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से जिला कलेक्टर, किन्नौर के पूर्वानुमोदन के बिना कोई भी लेन—देन संव्यवहार नहीं करेगा या भूमि का कोई भी संव्यवहार अर्थात् क्रय / विक्रय आदि नहीं करवाएगा या भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा—15 के अधीन यथाउपबन्धित हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा, भू—अर्जन के आक्षेप, यदि कोई हो, को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर भू—अर्जन कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, पूह, जिला किन्नौर के समक्ष दायर किए जा सकेंगे।

चूंकि अधिनियम की धारा 40(2) के दायरे में आने वाली परियोजना के लिए भूमि की तत्काल आवश्यकता है, इसलिए विनिश्चय किया गया है कि सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन न किया जाए। उपरोक्त भू—अर्जन के कारण संभाव्य विस्थापित होने वाले परिवारों के ब्यौरे ऐसे विस्थापन की आवश्यकता के कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए सम्यक् अनुक्रम में उपलब्ध करवाए जाएंगे।

आदेश द्वारा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व)।

\_\_\_\_

[Authoritative English Text of this Department's Notification No. Rev-D (G) 7-10/2023, dated 18-06-2024 as required under clause 3 of Article 348 of the Constitution of India].

### REVENUE DEPARTMENT

## **NOTIFICATION**

Shimla-171 002, 18th June, 2024

**No. Rev-D (G)7-10/2023.**—WHEREAS, it appear to the Government of Himachal Pradesh that a total private land measuring 0-05-65 hectares situated in Village Kutang, Muhal Jangi, Tehsil Moorang, District Kinnaur, H.P is required for the construction of retaining wall at 394.800 (NH-5) on HT Road.

The Assistant Commissioner to Deputy Commissioner, Kinnaur is appointed as 'Administrator' for the purpose of rehabilitation and resettlement of the affected families. Therefore, it is notified that for the above said project in the village Kutang, Muhal Jangi, Tehsil Moorang, District Kinnaur, H.P. a piece of land measuring 0-05-65 hectares, whose detailed description is as below, is under acquisition:—

## Schedule of land

Private land								
Village Kutang, Muhal Jangi, Tehsil Moorang, District Kinnaur, H.P								
Sl.	Name	Teshil	District	Khewat	Khatouni	Khasra Number Measurin		Measuring
No.	of			Number	Number			Area (in
	Muhal							hectare)
1.	Kutang	Moorang	Kinnaur	57 Min	77 Min	338/316	338/316/1	0-02-03
2.						340/317	340/317/1	0-01-80
3.				55 Min	75 Min	339/317	339/317/1	0-00-77
4.						359/342/318	359/342/318/1	0-01-05
							Kita-04	0-05-65

This notification is made under the provision of Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013) to all whom it may concern.

The Land statement and plan may be inspected in the office of the Land Acquisition Officer-cum-Additional District Magistrate, Pooh, District Kinnaur on any working day during the working hours.

The Government authorizes the Deputy Commissioner, Kinnaur and his staff to enter upon and survey land, take levels of any land, dig and bore into the sub-soil and do all other acts as may be required for the proper execution of the work as provided under section 12 of the said Act.

Under Section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land *i.e.* sale/purchase etc. or create any encumbrances or such land from the date of publication of this notification without prior approval of the District Collector, Kinnaur.

Objections of the acquisition, if any, may be filed by the person interested within a period of 60 days from the date of publication of this notification as provided under section 15 of the Act before the Land Acquisition Collector-*cum*-Additional District Magistrate, Pooh, District Kinnaur, H.P.

Since the land is urgently required for the project falling within the purview of Section 40(2) of the Act, it has been decided not to carry out the Social Impact Assessment Study. Detail of families likely to be displaced due to aforesaid land acquisition will be provided in due course of time specifying reasons necessitating such displacement.

By order,

Addl. Chief Secretary (Revenue).

\_\_\_\_\_

## सहकारिता विभाग

## शुद्धि–पत्र

शिमला-2, 31 जुलाई, 2024

संख्या : कूप-ए(3)-2/2020.—अधिसूचना संख्याः कूप-ए(3)-2/2020, तारीख 14-03-2024 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में तारीख 15-03-2024 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटीज (संशोधन) नियम, 2024 में, रूल 3 के क्लॉज (ख) के निम्नलिखित शब्दों का लोप किया जाता है:—

"The rule provides for the constitution of a Co-operative Education Fund' which shall be administered by the Himachal Pradesh State Co-operative Development Federation or by any other agency in the absence of the former as well as by Co-operative Societies at their own level. The contribution to the fund shall be made by every registered society at the rate of Rs. 300/- or 3% of the net profits derived from the working in a given year subject to a maximum of Rs. 15 lakhs to be distributed between these institutions as per rule 69(1). The rule read with Section No. 54 of the Act, imposes a statutory obligation on every society for making contribution to this Fund. Out of 3% Co-operative education fund 1% shall be

administered by Himachal Pradesh Co-operative Development Federation (hereinafter mentioned as State Co-operative Development Federation) and 2% by Co-operative societies at their own level.

Any society desirous of contributing more than the maximum of 3% of profits may do so with the prior permission of the Registrar but this shall not in any way exceed 5% of the net profits of the year."

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित / — (सी० पॉलरासु), सचिव (सहकारिता)।

\_\_\_\_\_

[Authoritative English text of this Department Notification No. Coop.-A(3)-2/2020, dated 31-07-2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

## **CO-OPERATION DEPARTMENT**

### **CORRIGENDUM**

Shimla-171 002, the 31st July, 2024

**No. Coop-A(3)-2/2020.**—In the Himachal Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Rules, 2024, notified *vide* Notification No. Coop-A(3)-2/2020, dated 14-03-2024 published in the Rajpatra (e-Gazette) on 15-03-2024, in rule 3, clause (b), the following words shall stand omitted:—

"The rule provides for the constitution of a Co-operative Education Fund' which shall be administered by the Himachal Pradesh State Co-operative Development Federation or by any other agency in the absence of the former as well as by Cooperative Societies at their own level. The contribution to the fund shall be made by every registered society at the rate of Rs. 300/- or 3% of the net profits derived from the working in a given year subject to a maximum of Rs. 15 lakhs to be distributed between these institutions as per rule 69(1). The rule read with Section No. 54 of the Act, imposes a statutory obligation on every society for making contribution to this Fund. Out of 3% Co-operative education fund 1% shall be administered by Himachal Pradesh Co-operative Development Federation (hereinafter mentioned as State Co-operative Development Federation) and 2% by Co-operative societies at their own level.

Any society desirous of contributing more than the maximum of 3% of profits may do so with the prior permission of the Registrar but this shall not in any way exceed 5% of the net profits of the year."

By order,

Sd/-(C. PAULRASU), Secretary (Co-operation).

### TRANSPORT DEPARTMENT

### **NOTIFICATION**

Shimla-2, the 29th July, 2024

**No.TPT-B(2)-6/2019-II.**—The Governor, Himachal Pradesh, is pleased to order that Sh. Sachinder, Regional Transport Officer (Officiating), RTO Nahan, Distt. Sirmaur shall retire from the Government service on attaining the age of superannuation on 31-07-2024 (A.N.).

Sd/-(R.D. NAZEEM), Principal Secretary (Transport).

## OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, BILASPUR DISTRICT BILASPUR (H.P.)

#### **NOTIFICATION**

Dated the 24th July, 2024

**Endst. No. I/449026/2026.**—Whereas, the Government of Himachal Pradesh, *vide* Notification No. FDS-A(3)-7/2016-I, dated 9th May, 2023, has invoked the Himachal Pradesh Hoarding and Profiteering Prevention Order, 1977. Therefore, in supersession of all previous notifications issued in this behalf and in exercise of the powers vested in me under Sub-Clause(d) of Clause 3(1) of the Himachal Pradesh Hoarding and Profiteering Prevention Order, 1977, I, Abid Hussain Sadiq, I.A.S, District Magistrate, Bilaspur District Bilaspur, do hereby fix the maximum margin of profit on the commodities listed in Schedule-I appended to the order *ibid*, which dealers in Bilaspur District can charge on wholesale and retail sale transactions, as under:—

## Schedule-I

Sl. No.	Name of Commodity	Maximum wholesale	Maximum retail sale	
		Margin	margin	
1.	Foodgrains(Wheat, Grams, Barley and	2½%	5½%	
	Rice)including their products.			
2.	Gur, Shakkar & Khandsari	2½%	51/20/0	
3.	Sugar	2½%	51/20/0	
4.	Pulses(All kinds)	2½%	51/20/0	
6.	Liquefied Petroleum Gas	RSP+additional cool	liage fixed by the	
		District Magistrate, Bi	laspur.	
7.	Kerosene Oil As fixed by the District		t Magistrate, Bilaspur	
		from time to time.		
8.	Diesel	As fixed by the Oil Companies from time to		
		time.		
9.	Coarse wool/common cloth	2½%	5½%	
10.	Eggs	5%	7½%	
11.	Bread	7½%	81/20/0	

		(	DR	
		As per print rates		
12.	Meat, Chicken and Fish	As fixed by the District Magistrate, Bilaspur		
		from time to time.		
13.	Edible Oil/Vegetable Oil/H.V.Oil,	2½%	4%	
	except Loose Mustard Oil and those		OR as per printed	
	sold in packets.		price	
14.	Cooked Food served in any		ct Magistrate, Bilaspur	
	establishment excluding	from tim	ne to time	
	Hotels/Restaurant registered with the			
	Tourism department.			
15.	Milk, Curd and Cottage Cheese	As fixed by the District Magistrate, Bilaspur		
		from tin	ne to time	
16.	Fruits and Vegetables:	T		
	1. Fruits	5%+(1% market fee	24%(including	
		if applicable).	freight charges,	
			Loading, unloading,	
			wastages and other	
			incidental charges).	
	2. Non-Perishable Vegetables:	5%+(1% market fee	24% (including	
	[Onion, Potato, Garlic, Ginger, Taro	if applicable).	freight charges,	
	Roots(Arbi) and Zimikand].		Loading, unloading,	
			wastages and other	
		70//10/	incidental charges).	
	3. All other perishable vegetables	5%+(1% market fee	39%(including	
		if applicable)	freight charges,	
			Loading, unloading,	
			wastages and other	
			incidental charges)	
17.	Bottled Beverages	As per company's prin	nted price	

## **Terms and Conditions:**

1. The element of expenditure, incurred/actually paid by a dealer to be taken into account for computing the landed cost of the commodities listed above *i.e.* (i) Purchase Price, (ii) Freight, (iii) Central/Local Taxes/GST, (iv) Loading, un-loading, Carriage, (v) Market Fee, (vi) Interest on capital@ 1% for Wholesaler and Retailer on item No.1 to 5 above, (vii) Other incidental charges @1% for Wholesaler and Retailer on item no. 1 to 5 above, (viii) 1% shortage may be allowed over and above the margin of profit calculated as per instructions. No shortage will however be allowed in the case of H.V.Oil sold in packs upto 5kgs. In the case of Gur, Shakkar and Khandsari shortage upto 2% may be allowed

**Note.**—This condition will not be applicable on fruits and vegetables, as all incidental charges have already been included in their retail margin of profit.

2. The dealer engaged in Wholesale as well as in retail sale business shall charge only one margin of profit on the transaction *i.e.* wholesale margin on wholesale transaction and retail sale margin on retail sale transaction. The wholesale margin shall be allowed at one stage only at one particular station.

3. Wholesale transaction would mean a single transaction of not less than the following:—

(1) Foodgrains, Gur, Shakkar, Khandsari,

Sugar, Pulses, Salt = One Quintal

(2) Bread = Ten Number

(3) Paper = One Ream

(4) Eggs = One Hundred

(5) Fruits and Vegetables = 20 Kgs.

(6) Meat, Chicken, Fish, Curd and Cottae Cheese = 10 Kgs.

(6) Meat, Chicken, Fish, Curd and Cottae Cheese
 (7) Bottled Beverages
 = 10 Kgs.
 = 24 Nos.

## 4. The below terms and conditions will be applicable for vegetables & fruits:—

- (4.1) No Wholesaler or retailer shall charge more than the margin of profit as fixed above.
- (4.2) Every Commission Agent/Wholesaler in Vegetable Market shall issue Form R to every farmer/grower at the time of purchase of fruits and vegetable from them and retain its one copy with him/her.
- (4.3) Every Commission Agent/Wholesaler in Vegetable Market shall issue Form Q to every retailers showing rates of each fruit and vegetable sold to the retailers. On this Form /Cash memo, he or she shall display rate of the fruits/vegetables as per Form R and Charge his/her margin of profit/ commission as shown at column 3 above, which shall be shown separately on Form Q and he/she shall retains its one copy with him/her.
- (4.4) The Dealer engaged in wholesale as well as in retail sale business shall charge only one margin of profit on the transaction *i.e.* wholesale margin on wholesale transaction and retail sale margin on retail sale transaction. The wholesale margin shall be allowed at one stage only at one particular station.
- (4.5) Every Retailers shall display price list of the fruits and vegetables available with him/her in business premises in such a way that it may easily be seen by every customer.
- (4.6) Wholesale transaction would mean a single transaction of not less than the following:—
  Fruits and Vegetables = 20 Kg.
- (4.7) All Sub-Divisional Magistrates, all Deputy Superintendent of Police and all Inspectors Food Civil Supplies and Consumers Affairs, in Distt. Bilaspur shall ensure compliance of this notification in letter and spirit.
- (4.8) The Secretary, APMC Bilaspur shall ensure issuance of Form-R and Form-Q by the Commission Agent in Vegetable markets in the district.

This notification shall come into force from the date of its publication in official Gazette.

Sd/-(ABID HUSSAIN SADIQ, I.A.S.), District Magistrate, Bilaspur, District Bilaspur (H.P.).

## वित्त (विनियम) विभाग

## अधिसूचना

## शिमला-2, 31 जुलाई, 2024

संख्या : फिन (सी)ए (3)—3/2024.——हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश राज्य को लागू सेंट्रल सिविल सर्विसिज (लीव) रूल्ज, 1972 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :——

- 1. संक्षिप्त और प्रारम्भ नाम
- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेंट्रल सिविल सर्विसिज (लीव) हिमाचल प्रदेश अमेंडमेंट रूल्ज. 2024 है।
- (2) ये नियम राजपत्र (ई—गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. रूल 43—सी का अन्तःस्थापन।

हिमाचल प्रदेश राज्य को लागू सेंट्रल सिविल सर्विसिज (लीव) रूल्ज, 1972 में रूल 43—बी के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापन किया जाएगा, अर्थात् :——

## "43-C. Child Care Leave

- (1) Subject to the provisions of this rule, a female Government servant may be granted child care leave by an authority competent to grant leave for a maximum period of seven hundred and thirty days during her entire service for taking care of her child with a minimum disability of forty percent as specified in the Government of India Ministry of Social Justice and Empowerment's Notification No. 16-18/97-N 1.1, dated the 1st June, 2001 upto two surviving children.
- (2) Grant of child care leave to a female Government servant under sub-rule (1) shall be subject to the following conditions, namely:—
  - (i) it shall not be granted for more than three spells in a calendar year;
  - (ii) in case of a single female Government servant, the grant of leave in three spells in a calendar year shall be extended to six spells in a calendar year;
  - (iii) it shall not ordinarily be granted during the probation period except in case of certain extreme situations where the leave sanctioning authority is satisfied about the need of child care leave to the probationer, provided that the period for which such leave is sanctioned is minimal; and
  - (iv) Child care leave may not be granted for a period less than five days at a time.

- Government servant shall be paid one hundred percent of the salary for the first three hundred and sixty-five days, and at eighty percent of the salary for the next three hundred and sixty-five days.
- (4) Child care leave may be combined with leave of any other kind.
- (5) Child care leave shall not be debited against the leave account."

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित / – (देवेश कुमार), प्रधान सचिव (वित्त)।

\_\_\_\_\_

[Authoritative English text of this Department Notification No. Fin(C)A(3)-3/2024, dated 31st July, 2024 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

## FINANCE (REGULATIONS) DEPARTMENT

### **NOTIFICATION**

Shimla-2, the 31st July, 2024

**No.** Fin(C)A(3)-3/2024.—In exercise of powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, in their application to the State of Himachal Pradesh, namely:—

- 1. Short title and commencement
- (1) These rules may be called the Central Civil Services (Leave) Himachal Pradesh Amendment Rules, 2024.
- 2. Insertion of rule 43-C.
- (2) They shall come into force from the date of their publication in Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh. In the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, in their application to State of Himachal Pradesh, after rule 43-B the following shall be inserted, namely:—

#### "43-C. Child Care Leave

(1) Subject to the provisions of this rule, a female Government servant may be granted child care leave by an authority competent to grant leave for a maximum period of seven hundred and thirty days during her entire service for taking care of her child

with a minimum disability of forty percent as specified in the Government of India Ministry of Social Justice and Empowerment's Notification No. 16-18/97-N 1.1, dated the 1st June, 2001 upto two surviving children.

- (2) Grant of child care leave to a female Government servant under sub-rule (1) shall be subject to the following conditions, namely:—
  - (i) it shall not be granted for more than three spells in a calendar year;
  - (ii) in case of a single female Government servant, the grant of leave in three spells in a calendar year shall be extended to six spells in a calendar year;
  - (iii) it shall not ordinarily be granted during the probation period except in case of certain extreme situations where the leave sanctioning authority is satisfied about the need of child care leave to the probationer, provided that the period for which such leave is sanctioned is minimal; and
  - (iv) Child care leave may not be granted for a period less than five days at a time.
- (3) During the period of child care leave, a female Government servant shall be paid one hundred percent of the salary for the first three hundred and sixty-five days, and at eighty percent of the salary for the next three hundred and sixty-five days.
- (4) Child care leave may be combined with leave of any other kind.
- (5) Child care leave shall not be debited against the leave account.".

By order,

Sd/-(DEVESH KUMAR), Principal Secretary (Finance) .

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Chamba, District Chamba (H. P.)

Rajeev Kumar Thapa s/o Sh. Bodh Raj, r/o VPO Mehla, Tehsil & Distt. Chamba (H.P.).

and

Saraswati d/o Sh. Hari Bahadur, r/o VPO Patlikuhal, Tehsil Bari, Distt. Kullu (H.P.).

#### Versus

### The General Public

Subject.—Notice regarding registration of Marriage under sections 15 & 16 of Special Marriage Act, 1954.

Whereas, the above named applicants have made an application before the undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) alongwith affidavits and other relevant documents stating therein that they have solemnized their marriage on 06-04-2024 at their place of residences and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Now, therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding the registration of this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 27-06-2024. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the Court on this 28th Day of May, 2024.

Seal. Sd/Sub-Divisional Magistrate,
Chamba, District Chamba (H.P.).

## In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Chamba, District Chamba (H. P.)

Amit Kumar s/o Sh. Dharmender Kumar aged 32 years, r/o Mohalla Dharog, Chamba Town, Tehsil & Distt. Chamba (H.P.).

and

Mamta d/o Sh. Gian Chand aged 26 years, r/o VPO Sirkund, Tehsil & Distt. Chamba (H.P.).

## Versus

#### The General Public

Subject.— Registration of Marriage under sections 8(4) of H.P. Registration of Marriage Act, 1996 (Act No. 21 of 1997).

Whereas, the above named applicants have made an application before me under sections 8(4) of H.P. Registration of Marriage Act, 1996 alongwith relevant records and affidavits stating therein that they have solemnized their marriage on 02-07-2017 at their place of residences with prevailing rites and customs but due to some unavoidable circumstances it could not be entered in the records of Municiple Council Chamba, Tehsil & Distt. Kullu (H.P.) well in time.

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the registrar of marriages and now, therefore, necessary order for registration of their marriage be passed, so that their marriage could be registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of marriage of above named applicants they should appear before the undersigned in my court on or before 19-08-2024 at 2.00 P.M. either personally or through their authorized agent/pleader.

In the event of their failure to do so, orders shall be passed *ex-parte* for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the Court on this 18-07-2024.

Seal.

Sd/-*Magistrate,* 

Sub-Divisional Magistrate, Chamba, District Chamba (H.P.).

## ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम

पेशी : 24-07-2024

सरदारी लाल पुत्र श्री दगधी राम, निवासी गांव व डाकघर रेहलू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा हि0प्रo।

बनाम

## आम जनता

विषय:—-दुरुस्ती नाम हि0प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती वारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम सरदारी लाल पुत्र दगधी राम है। लेकिन राजस्व रिकार्ड महाल रेहलू खास व मनोह में सरदार सिंह पुत्र श्री दिगती राम चला हुआ है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दुरुस्त करवाकर महाल रेहलू खास व मनोह में सरदार सिंह उर्फ सरदारी लाल पुत्र श्री दगधी करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना पत्र के संदर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे यदि आम जनता या अन्य किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 24–07–2024 को दोपहर बाद 2:00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एक रफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक.....को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

## व अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि

पेशी : 24-07-2024

प्रकाश चन्द उम्र ६९ पुत्र श्री शेर जंग, निवासी गांव व डाकघर रेहलू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

#### आम जनता

विषय:——जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13 (3) पुनर्वालोकित 1969 के तहत मृत्यु प्रमाण पत्र लेने बारे प्रार्थना—पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हिल्फया गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसकी माता श्रीमती केसरी देवी पत्नी श्री शेरजंग, निवासी गांव व डाकघर रेहलू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 का देहांत दिनांक 12—09—1999 को गांव रेहलू में हुआ है। लेकिन अज्ञानतावश उनकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत रेहल के रिकार्ड में दर्ज न करवा सके। प्रार्थी उक्त मृत्यु तिथि को दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना—पत्र के संदर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत रेहलू के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 24—07—2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक.....को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

## व अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम

पेशी : 24-07-2024

यशवीर सिंह पुत्र श्री चन्दो राम, निवासी गांव व डाकघर चड़ी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

#### आम जनता

विषय:——दुरुस्ती नाम हि0प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे। उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम यशवीर सिंह पुत्र श्री चन्दू लाल पुत्र श्री किरपा सिंह है लेकिन राजस्व रिकार्ड महाल चड़ी व चड़ी डुढम्ब में सीवन कुमार पुत्र चन्दू लाल पुत्र किरपा चला हुआ है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दुरुस्त करवाकर महाल चड़ी व चड़ी डुढम्ब में सवीन कुमार उर्फ यशवीर सिंह पुत्र श्री चन्दू लाल पुत्र किरपा करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना—पत्र के संदर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे यदि आम जनता या अन्य किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 24—07—2024 को दोपहर बाद 2:00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक.....को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

\_\_\_\_\_

## ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम

पेशी : 25—07—2024

मदन लाल पुत्र श्री खोजी पुत्र परमा, निवासी महाल उपरला डोहब, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

#### आम जनता

विषयः दुरुस्ती नाम हि0प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम मदन लाल पुत्र श्री खोजी पुत्र परमा है लेकिन राजस्व रिकार्ड महाल उपरला डोहब में टुहला पुत्र श्री खोजी पुत्र परमा चला हुआ है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दुरुस्त करवाकर महाल उपरला डोहब में टुहला उर्फ मदन लाल पुत्र श्री खोजी पुत्र परमा करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना—पत्र के संदर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे यदि आम जनता या अन्य किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 25—07—2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक.....को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

## ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि

पेशी: 30-07-2024

सुमन कुमारी पत्नी श्री औंकार सिंह, निवासी गांव अम्बाड़ी, डाकघर रजोल, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

### आम जनता

विषय:—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13 (3) पुनर्वालोकित 1969 के तहत मृत्यु प्रमाण पत्र लेने बारे प्रार्थना—पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हिल्फया गुजारा है। जिसमें लिखा है कि उसके ससुर श्री पिपलू राम पुत्र श्री सुरिन्द्र कुमार, निवासी गांव अम्बाड़ी डाकघर रजोल, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 का देहांत दिनांक 07—07—1988 को गांव अम्बाड़ी में हुआ है लेकिन अज्ञानतावश उनकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत अम्बाड़ी के रिकार्ड में दर्ज न करवा सके। प्रार्थिया उक्त मृत्यु तिथि को दर्ज करवाना चाहती है।

अतः उक्त प्रार्थना—पत्र के संदर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत अम्बाड़ी के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 30—07—2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक.....को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

\_\_\_\_\_

## ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि

पेशी : 09-08-2024

लीला देवी पत्नी श्री मेघ राज, निवासी गांव झुलाड़, डाकघर व तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

#### आम जनता

विषय:——जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13 (3) पुनर्वालोकित 1969 के तहत जन्म प्रमाण पत्र लेने वारे प्रार्थना पत्र। उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसकी बेटी अभिलाशा पुत्री श्री मेघ राज निवासी गांव झुलाड़, डाकघर व तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि०प्र० का जन्म दिनांक 24—12—1987 को गांव झुलाड़ में हुआ है। लेकिन अज्ञानतावश जन्म तिथि नगर पंचायत शाहपुर के रिकार्ड में दर्ज न हो सकी है। प्रार्थिया उक्त जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहती है।

अतः उक्त प्रार्थना—पत्र के संदर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि को नगर पंचायत शाहपुर के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 09—08—2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक..... को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

## ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

शीर्षक :

श्री असलम मोहम्मद पुत्र श्री गफुर मोहम्मद, निवासी रामपुर, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

ः प्रत्यार्थीगण।

प्रार्थना-पत्र ग्राम पंचायत कनैड, तहसील सुन्दरनगर में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्री असलम मोहम्मद पुत्र श्री गफुर मोहम्मद, निवासी रामपुर, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन—पत्र मय शपथ—पत्र, District Registrar (Birth & Death)-cum-Chief Medical Officer Mandi द्वारा दिया गया पत्र व अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 10—02—1975 को निवास रामपुर, डाकघर कनैड में हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत कनैड, तहसील सुन्दरनगर में दर्ज नहीं है। प्रार्थी अपनी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कनैड, तहसील सुन्दरनगर में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारा किसी भी प्रकार का कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 01–08–2024 को मुकर्र तारीख पर बवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा करे अन्यथा आपके खिलाफ कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 01-07-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर ।

हस्ताक्षरित / – कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि०प्र०)।

## ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि०प्र०)

शीर्षक :

श्री युसूफ अन्सारी पुत्र शेर मुहम्मद, निवासी गांव व डाकघर भोजपुर, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि०प्र०)

बनाम

आम जनता

ं प्रत्यार्थीगण।

प्रार्थना—पत्र बराये मुहाल भोजपुर 26/6 के खाता/खतौनी नं0 728/1036, खसरा नं0....... कित्ता 16, रकबा 624—16 वर्ग मीटर में नाम दुरुस्ती बारे।

श्री युसूफ अन्सारी पुत्र शेर मुहम्मद, निवासी गांव व डाकघर भोजपुर, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में बराये मुहाल भोजपुर 26/6 के खाता/खतौनी नं0 728/1036, खसरा नं0....... कित्ता 16, रकबा 624–16 वर्ग मीटर में नाम दुरुस्ती मुहम्मद युसूफ के स्थान पर मुहम्मद युसूफ उर्फ युसूफ अन्सारी बारे प्रार्थना–पत्र प्रसतुत किया है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त किसी भी प्रकार का कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 03—08—2024 को मुकर्र तारीख पर बवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा करे अन्यथा आपके खिलाफ कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 19-07-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि०प्र०)।

\_\_\_\_\_

## ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बल्ह, जिला मण्डी (हि०प्र०)

मिसल नं0 : 35 / 2024

तारीख दायर : 16-01-2024

तारीख पेशी : 02-08-2024

श्रीमती आशा देवी पत्नी श्री हेम राज, निवासी गांव / मुहाल खोहर, डा० रजवाडी, तहसील बल्ह, जिला मण्डी (हि०प्र०)

बनाम

असम जनता

ः प्रत्यार्थी ।

इन्तकाल मकफूद-उल-खबरी बारे इश्तहार समाचार पत्र के माध्यम से करवाने बारे।

आवेदिका आशा देवी पत्नी श्री हेम राज, निवासी गांव/मुहाल खोहर, डा० रजवाडी, जिला मण्डी (हि०प्र०) ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र गुजार कर अनुरोध किया है कि उसका पति हेम राज पुत्र श्री सुख राम दिनांक 24—09—2016 को मैन्टल अस्पताल शिमला में दिमागी हालात ठीक न होने की बजह से अस्पताल में दाखिल किये गये थे तथा वहां से बिना बतलाये ही चले गये हैं लगभग अरसा 07—08 वर्षों से लापता हैं और न ही घर आते जाते हैं और न ही उन्हें किसी व्यक्ति ने देखा है, जिससे अब घर आने की कोई सम्भावना नहीं है इसलिए आवेदिका अपने लापता पित हेम राज पुत्र श्री सुख राम की वरास्त का इन्तकाल मकफूद—उल—खबरी के माध्यम से तस्दीक करवाना चाहती है।

उपरोक्त प्रार्थना—पत्र के संदर्भ में इश्तहार समाचार पत्र के माध्यम से लापता हेम राज पुत्र सुख राम के रिश्तेदार व अन्य को सूचित किया जाता कि आवेदिका के लापता पति हेम राज पुत्र श्री सुख राम, निवासी गांव / मुहाल खोहर, डा० रजवाडी, तहसील बल्ह, जिला मण्डी (हि०प्र०) की विरास्त का इन्काल आशा देवी पत्नी श्री हेम राज पुत्र श्री सुख देव के नाम तस्दीक करने बारा लापता हेम राज पुत्र सुख राम के किसी रिश्तेदार या अन्य किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अपना एतराज इस न्यायालय में दिनांक 02—08—2024 को प्रातः 10.00 बजे उपस्थित होकर पेश कर सकते हैं, समय पर हाजिर न आने की सूरत में रिश्तेदार व अन्य के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

यह इश्तहार आज दिनांक 29-06-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बल्ह, जिला मण्डी (हि०प्र०)।

## समक्ष श्री ऋषभ शर्मा ब अख्तियार सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 84 / 2023

तारीख मरजुआ : 10-08-2023

तारीख पेशी : 02-08-2024

श्री लोकिन्दर सिंह पुत्र प्रेमत सिंह, निवासी महाल शिल्डू सपोली, डा० मशोबरा, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)

#### बनाम

1. श्री तिलक राज पुत्र मनी राम, निवासी शिल्डू सपोली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 2. श्री विरेन्द्र पुत्र मनी राम, निवासी शिल्डू सपोली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 3. श्रीमती शान्ति पत्नी स्व0 श्री मनी राम, निवासी शिल्डू सपोली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 4. कुमारी कल्पना पुत्री प्रेम सिंह, निवासी शिल्डू सपोली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 5. श्रीमती कमला देवी पत्नी स्व0 श्री प्रेम सिंह, निवासी शिल्डू सपोली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 6. श्रीमती लीला देवी पत्नी स्व0 श्री प्रेम सिंह, निवासी शिल्डू सपोली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 7. श्रीमती शान्ति पत्नी स्व0 श्री राम दास, निवासी शिल्डू सपोली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 8. श्री लायक राम पुत्र राम दास, निवासी शिल्डू सपोली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 10. श्री लेख राम पुत्र राम दास, निवासी शिल्डू सपोली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 11. श्री दौलत राम पुत्र मस्त राम, निवासी शिल्डू सपोली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 12. श्री गोविन्द सिंह पुत्र मस्त राम, निवासी शिल्डू सपोली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 13. श्री रती राम पुत्र मस्त राम, निवासी शिल्डू सपोली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 15. श्री रती राम पुत्र मस्त राम, निवासी शिल्डू सपोली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 15. श्री दुर्गा सिंह पुत्र वेवी राम उर्फ माठू, निवासी शिल्डू सपोली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 15. श्री दुर्गा सिंह पुत्र वेवी राम उर्फ माठू, निवासी शिल्डू सपोली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 15. श्री दुर्गा सिंह पुत्र वेवी राम उर्फ माठू, निवासी शिल्डू सपोली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 15. श्री दुर्गा सिंह पुत्र वेवी राम उर्फ माठू, निवासी शिल्डू सपोली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 15. श्री दुर्गा सिंह पुत्र वेवी राम उर्फ माठू, निवासी शिल्डू सपोली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 15. श्री दुर्गा सिंह पुत्र वेवी राम उर्फ माठू, निवासी शिल्डू सपोली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 15. श्री दुर्गा सिंह पुत्र वेवी रामला लिला ग्रामीण, निवासीण

शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 16. श्री नरायण दास पुत्र देवी राम, निवासी शिल्डू सपोली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 17. श्री मोहन सिंह पुत्र देवी दास, निवासी शिल्डू सपोली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 18. श्री सुरेश कुमार पुत्र राम कृष्ण, निवासी शिल्डू सपोली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 19. श्री जितेन्द्र पुत्र राम कृष्ण, निवासी शिल्डू सपोली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 20. श्रीमती शैण् पुत्री राम कृष्ण, निवासी शिल्डू सपोली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 21. श्रीमती शान्ति पत्नी स्व0 श्री राम कृष्ण, निवासी शिल्डू सपोली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 22. श्री टेक राम पुत्र कृष्ण दास, निवासी शिल्डू सपोली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 23. श्रीमती अंजू पुत्री कृष्ण दास, निवासी शिल्डू सपोली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 24. श्रीमती चम्पा पुत्री कृष्ण दास, निवासी शिल्डू सपोली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 25. श्रीमती विद्या देवी पत्नी स्व0 श्री कृष्ण दास, निवासी शिल्डू सपोली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 25. श्रीमती विद्या देवी पत्नी स्व0 श्री कृष्ण दास, निवासी शिल्डू सपोली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0))

प्रार्थना—पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत तकसीम हेतु प्रार्थना—पत्र बाबत भूमि मन्दरजा खाता / खतौनी नं0 4 / 9, ता 18, कित्ता 17, रकबा तादादी 03—59—17 है0, मोहाल / मौजा शिल्डू सपोली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)।

प्रार्थना—पत्र श्री लोकिन्दर सिंह पुत्र प्रेमत सिंह, निवासी महाल शिल्डू सपोली, डा० मशोबरा, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०) ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत तकसीम हेतु अराजी खाता/खतौनी नं० 4/9, ता 18, कित्ता 17, रकबा तादादी 03—59—17 है0, मोहाल/मौजा शिल्डू सपोली, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०) बारे प्रस्तुत किया है। जिसमें प्रतिवादी नं० 1 ता 6, 13 ता 25 की तामील साधारण तरीके से सम्भव न हो पा रही है।

अतः इश्तहार द्वारा प्रतिवादी नं0 1 ता 6, 13 ता 25 को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त मामला बाबत तकसीम बारे कोई उजर व एतराज हो तो स्वयं व लिखित तौर पर दिनांक 02–08–2024 को अपराह्न 2.00 बजे कोर्ट परिसर चक्कर (DLSA Top Floor Room) में आकर अपना एतराज पेश करे अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 27-07-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०)।

## समक्ष श्री ऋषभ शर्मा ब अख्तियार सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 59 / 2021

तारीख मरजुआ : 22-09-2021 तारीख पेशी : 02-08-2024

1. श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री परस राम, निवासी गांव शिल्ली बागी, डा0 जाठिया देवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 2. श्रीमती उमा देवी पुत्री परस राम, निवासी गांव शिल्ली बागी, डा0 जाठिया देवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 3. श्रीमती सीता देवी पुत्री स्व0 श्री परस राम, निवासी गांव शिल्ली बागी, डा0 जाठिया देवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 4. श्री श्याम लाल पुत्र स्व0 श्री गुलाब सिंह, निवासी गांव शिल्ली बागी, डा0 जाठिया देवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला

(हि0प्र0), 5. श्री सीता राम पुत्र स्व0 श्री गुलाब सिंह, निवासी गांव शिल्ली बागी, डा0 जाठिया देवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 6. श्री ज्ञान चन्द पुत्र स्व0 श्री गुलाब सिंह, निवासी गांव शिल्ली बागी, डा0 जाठिया देवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)

#### बनाम

1. श्री सुभाष पुत्र स्व0 श्री रूप सिंह, निवासी गांव बडोह, डा0 जाठिया देवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 2. श्रीमती शकुल्तला पुत्री रूप सिंह, निवासी गांव बडोह, डा० जाठिया देवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 3. श्री दीप राम पुत्र मेद राम, निवासी गांव बडोह, डा० जाठिया देवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 4. श्रीमती कमला देवी, पूत्री मेद राम, निवासी गांव बडोह, डा० जाठिया देवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 5. श्री राम प्रकाश पुत्र केशव राम, निवासी गांव मझोला, डा० जाठिया देवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), ६. श्रीमती नितू पुत्री श्री मेद राम, निवासी गांव शिल्ली बागी, डा० जाठिया देवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 7. श्रीमती विद्या देवी पुत्री मेद राम, निवासी गांव शिल्ली बागी, डा० जाठिया देवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 8. श्री हरी कृष्ण पुत्र श्री मेद राम, निवासी गांव शिल्ली बागी, डा0 जाठिया देवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 9. श्री जानकी राम पुत्र मेद राम, निवासी गांव बगना, डा० जाठिया देवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 10. श्री नारायण दास पुत्र श्री मेद राम, निवासी गांव बगना, डा० जाठिया देवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 11. श्री राम प्रकाश पुत्र मेद राम, निवासी गांव बगना, डा० जाठिया देवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 12. श्री ओम प्रकाश पुत्र मेद राम, निवासी गांव बगना, डा० जाठिया देवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 13. श्री कांशिया दास पुत्र मेद राम, निवासी गांव बगना, डा० जाठिया देवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 14. श्री रामेश्वर पुत्र मेद राम, निवासी गांव बगना, डा0 जाठिया देवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 15. श्री राम स्वरूप पूत्र बाला राम, निवासी गांव बगना, डा० जाठिया देवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 16. श्रीराम पुत्र बाला राम, निवासी गांव बगना, डा0 जाठिया देवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 17. श्री प्रमोद कुमार पुत्र बाला राम, निवासी गांव बगना, डा० जाठिया देवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 18. श्रीमती कृष्णा देवी पुत्री बाला राम, निवासी गांव बगना, डा० जाठिया देवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 19. श्रीमती प्रभू देवी पुत्री बाला राम, निवासी गांव बगना, डा० जाठिया देवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 20. श्रीमती पार्वती देवी पुत्री बाला राम, निवासी गांव बगना, डा० जाठिया देवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 21. श्रीमती कान्ता देवी पुत्री बाला राम, निवासी गांव बगना, डा0 जाठिया देवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 22. श्रीमती विद्या देवी पत्नी बाला राम, निवासी गांव बगना, डा0 जाठिया देवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 23. श्रीमती बिमला देवी पुत्री गुलाब सिंह, निवासी गांव शिल्ली बागी, डा० जाठिया देवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 24. श्रीमती लीला देवी पुत्री गुलाब सिंह, निवासी गांव शिल्ली बागी, डा0 जाठिया देवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 25. श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी गुलाब सिंह, निवासी गांव शिल्ली बागी, डा० जाठिया देवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 26. श्री शंकर लाल पुत्र तुलिया, निवासी गांव व डा० जाठिया देवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 27. श्री रवी कुमार पुत्र ध्यान सिंह, निवासी गांव बागी, डा० जाठिया देवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 28. श्रीमती रीना पुत्री ध्यान सिंह, निवासी गांव बागी, डा० जाठिया देवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 29. श्रीमती वीना पुत्री ध्यान सिंह, निवासी गांव बागी, डा० जाठिया देवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 30. श्रीमती गीता देवी पत्नी ध्यान सिंह, निवासी गांव बागी, डा0 जाठिया देवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 31. श्री मेद राम पुत्र मनोहर, निवासी गांव बागी, डा० जाठिया देवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 32. श्री सुरेन्द्र पुत्र हरी कृष्ण, निवासी गांव बागी, डा० जाठिया देवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 33. श्री नरेन्द्र पुत्र हरी कृष्ण, निवासी गांव बागी, डा० जाठिया देवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 34. श्रीमती मीरा देवी पुत्री हरी कृष्ण, निवासी गांव बागी, डा० जाठिया देवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 35. श्रीमती रमा देवी पूत्री हरी कृष्ण, निवासी गांव बागी, डा० जाठिया देवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 36. श्रीमती विद्या देवी पत्नी हरी कृष्ण, निवासी गांव बागी, डा० जाठिया देवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र०), 37. श्री तुलसी राम पुत्र संत राम, निवासी गांव व डा० रामपुरी, तहसील शिमला ग्रामीण,

जिला शिमला (हि०प्र०), 38. श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री संत राम, निवासी गांव व डा० रामपुरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 39. श्रीमती विद्यावती पत्नी श्री संत राम, निवासी गांव व डा० रामपूरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 40. श्री मेहर चन्द पुत्र परस राम, निवासी गांव व डा० रामपुरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 41. श्री प्रकाश चन्द पुत्र परस राम, निवासी गांव व डा० रामपुरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 42. श्रीमती नीना देवी पुत्री परस राम, निवासी गांव व डा० रामपुरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 43. श्रीमती शांति देवी पत्नी परस राम, निवासी गांव व डा० रामपुरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), ४४. श्री राम चन्द पुत्र देवी सरन, निवासी गांव व डा0 रामपुरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 45. श्री मुन्नी लाल पुत्र देवी सरन, निवासी गांव व डा० रामपुरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 46. श्रीमती गौरी देवी पत्नी देवी सरन, निवासी गांव व डा० रामपुरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 47. श्री दिलू पुत्र सैहजिया, निवासी गांव व डा० रामपुरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 48. श्री बिजा राम पुत्र सैहजिया, निवासी गांव व डा० रामपुरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 49. श्री बाबू राम पुत्र जित, निवासी गांव व डा० रामपुरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 50. श्रीमती शारदा देवी पुत्री श्री जितू, निवासी गांव व डा० रामपुरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 51. श्रीमती शाति देवी पत्नी श्री जितू, निवासी गांव व डाँo रामपुरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 52. श्री सतीश कुमार पुत्र रूप राम, निवासी गांव नाई, डा० जाठिया देवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र०), 53. श्री प्रदीप कुमार पुत्र रूप लाल, निवासी गांव नाई, डा० जाठिया देवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 54. श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी श्री रूप लाल, निवासी गांव नाई, डा० जाठिया देवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 55. श्री अशोक कुमार पुत्र राम लाल, निवासी गांव बागी, डा० जाठिया देवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 56. श्री संजीव कुमार पुत्र श्री राम लाल, निवासी गांव बागी, डा० जाठिया देवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 57. श्रीमती अन्जना देवी पुत्री राम लाल, निवासी गांव बागी, डा0 जाठिया देवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 58. श्रीमती चम्पा पत्नी राम लाल, निवासी गांव बागी, डा० जाठिया देवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 59. श्याम लाल पुत्र श्री बंसी राम, निवासी गांव नाई, डा० जाठिया देवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 60. श्री जगदीश चन्द पुत्र बंसी राम, निवासी गांव शिल्ली बागी, डा० जाठिया देवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 61, श्री टाकर दास पत्र श्री मसदी, निवासी गांव बगना, डा० जाठिया देवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 62. श्री मोहन लाल पुत्र श्री गंगा राम, निवासी गांव बगना, डा० जाठिया देवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 63. श्री ईन्द्र पाल पुत्र गंगा राम, निवासी गांव बगना, डा0 जाठिया देवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 64. श्री अनिल कुमार पुत्र श्री गंगा राम, निवासी गांव बगना, डा० जाठिया देवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 65. श्री संदीप सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह, निवासी गांव व डा० जाठिया देवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 66. श्री मनमोहन सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह, निवासी गांव व डा० जाठिया देवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 67. श्रीमती किरन पुत्री प्रेम सिंह, निवासी गांव व डा० जाठिया देवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 68. श्रीमती अजुहिया पत्नी प्रेम सिंह, निवासी गांव व डा० जाठिया देवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 69. श्री हिरा सिंह पुत्र देवी राम, निवासी गांव बगना, डा० जाठिया देवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 70. श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री राम दास, निवासी गांव धनोखरी, डा0 जाठिया देवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 71. श्री अशोक कुमार पुत्र श्री राम दास, निवासी गांव धनोखरी, डा० जाठिया देवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 72. श्री रामेश्वर पुत्र श्री देवी राम, निवासी शन्धन्, डा० जाठिया देवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 73. श्री कृष्ण चन्द पुत्र श्री रामेश्वर, निवासी गांव बगना, डा० जाठिया देवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 74 श्री राजेन्द्र पुत्र श्री रामेश्वर, निवासी गांव बगना, डा० जाठिया देवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 75. श्री राकेश पुत्र सुन्दर राम, निवासी गांव व डा० रामपुरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 76. श्री सुनील दत पुत्र भूप राम, निवासी गांव व डा० रामपुरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 77. श्री हरीश दत पुत्र भूप राम, निवासी गांव व डा० रामपुरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र०), 78. श्री बाला राम पुत्र श्री धुन्धिया, निवासी गांव व डा० रामपुरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 79. श्रीमती दर्शन् देवी पुत्री श्री धुन्धिया, निवासी गांव व डा० रामपुरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 80. श्रीमती सरजू देवी पुत्री धुन्धिया, निवासी गांव व डा० रामपुरी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र०), 81. श्रीमती सनैहरू पत्नी धुन्धिया, निवासी गांव व डा० रामपुरी,

तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 82. श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री लच्छमी राम, निवासी गांव बगना, डा० जाठिया देवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 83. श्रीमती बिमला देवी पूत्री लच्छमी राम, निवासी गांव बगना, डा० जाठिया देवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०), 84. श्रीमती निर्मला देवी पत्नी लच्छमी राम, निवासी गांव बगना, डा० जाठिया देवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 85. श्री रमेश पुत्र दीप राम, निवासी गांव बगना, डा० जाठिया देवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0), 86. श्री ईन्द्र सिंह पुत्र श्री शौंक राम पुत्र शिल्ली बागी, डा0 जाठिया देवी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र०) ं प्रतिवादीगण।

प्रार्थना—पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत तकसीम हेत् प्रार्थना—पत्र बाबत भूमि मन्दरजा खाता / खतौनी नं0 53 / 52, कित्ता 3, रकबा तादादी 00-15-47 है0, खाता / खतौनी नं0 12 / 11, खतौनी नं0 28 / 27, खसरा नं0 41, रकबा तादादी 01-11-61 है0, खाता नं0 13 / 12, खतौनी 29 / 28, ता 30 / 29, कित्ता 11 कुल रकबा 04-96-95 है0, खाता नं0 59/43, खतौनी 100/92, ता0 105/97 कुल कित्ता 48, रकबा तादादी 01–56–42 है0, खाता नं0 60 / 44, खतीनी नं0 106 / 98, कित्ता 2, रकबा तादादी 00–75–62 है0 व खाता नं0 61/45 खतौनी नं0 108/100, कित्ता 3, कुल रकबा 00–61–26 है0, मोहाल/मौजा क्यारगी, बगना, शिल्ली बागी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०)।

प्रार्थना-पत्र श्री राजेन्द्र कुमार, उमा देवी, सीता देवी, श्याम लाल, सीता राम, ज्ञान चन्द, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत तकसीम हेत् खाता / खतौनी नं0 53 / 52, कित्ता 3, रकबा तादादी 00-15-47 है0, खाता / खतौनी नं0 12 / 11, खतौनी नं0 28 / 27, खसरा नं0 41, रकबा तादादी 01—11—61 है0, खाता नं0 13 / 12, खतौनी 29 / 28, ता 30 / 29, कित्ता 11 कुल रकबा 04-96-95 है0, खाता नं0 59 / 43, खतौनी 100 / 92, ता0 105 / 97 कुल कित्ता 48, रकबा तादादी 01-56-42 है0, खाता नं0 60 / 44, खतौनी नं0 106 / 98, कित्ता 2, रकबा तादादी 00-75-62 है0 व खाता नं0 61/45 खतौनी नं0 108/100, कित्ता 3, कूल रकबा 00-61-26 है0, मोहाल / मौजा क्यारगी, बगना, शिल्ली बागी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0) बारे प्रस्तुत किया है। जिसमें प्रतिवादी नं0 9 ता 13, 15, 23 ता 86 की तामील साधारण तरीके से न हो पा रही है।

अतः इश्तहार द्वारा प्रतिवादी नं0 9 ता 13, 15, 23 ता 86 को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त मामला बाबत तकसीम बारे कोई उजर व एतराज हो तो स्वयं व लिखित तौर पर दिनांक 02-08-2024 को अपराह्न 2.00 बजे कोर्ट परिसर चक्कर (DLSA Top Floor Room) में आकर अपना एतराज पेश करे, अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 02-07-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०)।

## समक्ष श्री ऋषभ शर्मा ब अख्तियार सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 70 / 2010

तारीख मरजुआ : 13–11–2010 तारीख पेशी : 06–08–2024

श्री राम पाल पुत्र सुन्दर लाल, निवासी कन्सटैन्स लॉज, अप्पर कैथू, शिमला, जिला शिमला (हि०प्र०) ं प्रार्थी। बनाम

1. श्री कृष्ण कुमार पुत्र चरन दास, निवासी ढैण्डा, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र०), 2. श्री विकास पुत्र राम गोपाल, निवासी ढैण्डा, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र०), 3. श्रीमती कान्ता विधवा श्री राम गोपाल, निवासी ढैण्डा, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र०), 4. श्रीमती लता पुत्री राम गोपाल, निवासी ढैण्डा, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र०), 5. श्रीमती रीता पुत्री राम गोपाल, निवासी ढैण्डा, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र०) 6. श्रीमती शारदा विधवा अशोक कुमार, निवासी ढैण्डा, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र०), 8. श्री अरविन्द पुत्र अशोक कुमार, निवासी ढैण्डा, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र०), 9. श्री अनूप पुत्र अशोक कुमार, निवासी ढैण्डा, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र०), 10. श्रीमती मनीता पुत्री अशोक कुमार, निवासी ढैण्डा, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र०), 11. अनीता पुत्री अशोक कुमार, निवासी ढैण्डा, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र०), 11. अनीता पुत्री अशोक कुमार, निवासी ढैण्डा, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र०))

प्रार्थना—पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत तकसीम हेतु प्रार्थना—पत्र बाबत भूमि मन्दरजा खाता / खतौनी नं0 5 / 34 ता 39, कित्ता 10, रकबा तादादी 01—65—63 है0, मोहाल / मौजा क्यार, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0)।

श्री राम पाल पुत्र सुन्दर लाल, निवासी कन्सटैन्स लॉज, अप्पर कैथू, शिमला, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र बराये जेर धारा 123 के अन्तर्गत तकसीम हेतु खाता/खतौनी नं0 5/34 ता 39, कित्ता 10, रकबा तादादी 01—65—63 है0, मोहाल/मौजा क्यार, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0प्र0) बारे प्रस्तुत किया है। जिसमें मौका तकसीम अमल में लाई जा चुकी है परन्तु प्रतिवादीगणों की तामील साधारण तरीके से न हो पा रही है।

अतः इश्तहार द्वारा उक्त सभी प्रतिवादीगणों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त मामला बाबत तकसीम बारे कोई उजर व एतराज हो तो स्वयं व लिखित तौर पर दिनांक 06–08–2024 को अपराह्न 2.00 बजे कोर्ट परिसर चक्कर (DLSA Top Floor Room) में आकर अपना एतराज पेश करे, अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 24-07-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि०प्र०)।

In the Court of Sh.Sunil Kumar, HPAS, Sub-Divisional Magistrate, Sangrah, District Sirmaur (H. P.)

- 1. Sh. Deepak Kumar s/o Sh. Jagdish, r/o Village Charna, P.O. Charna, Tehsil Nohradhar, District Sirmaur (H.P.).
- 2. Mrs. Kajal Chauhan d/o Sh. Virender Singh, r/o Village Akhrot Farm, P.O Nohradhar, Tehsil Nohradhar, Distric Sirmaur (H.P.).

#### Versus

#### General Public

Subject.—Registration of marriage under section 8(4) of the H.P. Registration of Marriage Act, 1996.

Sh. Deepak Kumar s/o Sh. Jagdish, r/o Village Charna, P.O. Charna, Tehsil Nohradhar, District Sirmaur (H.P.) & Mrs. Kajal Chauhan d/o Sh. Virender Singh, r/o Village Akhrot Farm, P.O Nohradhar, Tehsil Nohradhar, Distric Sirmaur (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned stating therein that they have solemnized their marriage on 04-08-2021 but the marriage has not been found entred in the records of Registrar of Marriages, Gram Panchayat Charna, Development Block Sangrah, District Sirmaur, Himachal Pradesh.

Therefore, objections are hereby invited from the general public through this notice that if anyone has any objection regarding registration this marriage, they can file their objections personally or in writing before this court on or before 18-08-2024, after that no objection shall be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court today on 19th July, 2024.

Seal.

Sd/(SUNIL KUMAR),

Sub-Divisional Magistrate,
Sangrah, District Sirmaur (H.P.).

Before Saleem Azam, H.P.A.S., Marriage Officer-cum-S.D.M., Nahan, Sub- Division Nahan, District Sirmaur, Himachal Pradesh

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954

Whereas, Sh. Amjad Ali s/o Sh. Ahmed Ali, r/o House No. 114/5, Mohalla Amarpur, Tehsil Nahan, District Sirmaur (H.P.) and Smt. Neha d/o Shri Sham Sunder, r/o H.No. B-1/1236, Aroriwala Mohalla, Ward No. 4, Old Rajpura, Patiala, Punjab have filed an application for the registration of their marriage U/S 15 Of Special Marriage Act, 1954, which was solemnized on 22-05-2023 and they have been living as husband and wife ever since then.

Notices are hereby given to all concerned and general public to this effect that if any body has got any objection regarding the registration of marriage duly solemnized between above said Sh. Amjad Ali s/o Sh. Ahmed Ali, r/o House No. 114/5, Mohalla Amarpur, Tehsil Nahan, District Sirmaur (H.P.) and Smt. Neha d/o Shri Sham Sunder, r/o H.No. B-1/1236, Aroriwala Mohalla, Ward No. 4, Old Rajpura, Patiala, Punjab they should file their written objections and should appear personally or through their authorized agents before me within a period of thirty days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court and later on no objection will be heard and accepted.

Issued under my hand and seal of this court on this 23rd day of July, 2024.

Seal. Sd/(SALEEM AZAM, HAS),

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate Nahan, District Sirmaur (H.P.).

## In the court of Sub-Divisional Magistrate-cum-Marriage Officer, Kasauli, District Solan (H.P.)

Case No.: 20/2024 Date of Instt.: 08-07-2024 Date of Decision: 23-08-2024

- 1. Sh. Deepak Kumar s/o Sh. Som Nath aged 26 years, r/o H.No. 118, 93/1, Village Lashna Gahi, P.O. Jabli, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.).
- 2. Mrs. Jhooma Thapa d/o Sh. Deepak Thapa, aged 20 years, r/o 1454, B-1, Abdulapur, Near White House, Ward No. 24, Pinjore, Distt. Panchkula, H.R. at present H.No. 118, 93/1, Village Lashna Gahi, P.O. Jabli, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.).

Versus

## General Public

Notice under section 15 of the Special Marriage Act, 1954.

An application under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 has been received in this court from Sh. Deepak Kumar s/o Sh. Som Nath aged 26 years, r/o H.No. 118, 93/1, Village Lashna Gahi, P.O. Jabli, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.) (Bride Groom) and Mrs. Jhooma Thapa d/o Sh. Deepak Thapa, aged 20 years, r/o 1454, B-1, Abdulapur, Near White House, Ward No. 24, Pinjore, Distt. Panchkula, H.R. at present H.No. 118, 93/1, Village Lashna Gahi, P.O. Jabli, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.) for the registration of their marriage u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954. The applicants have further declared in their affidavits dated 18-06-2024 that their marriage was solemnized on 18-04-2024 with each other. As such they have applied for registration of their marriage. Before taking further action in the said application, objections from the general public are invited for the registration of this marriage. The objections in this regard may be preferred in this court on or before 23-08-2024, failing which the marriage shall be got registered as per the provisions of the law.

Issued on 23-07-2024 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

## In the court of Sub-Divisional Magistrate-cum-Marriage Officer, Kasauli, District Solan (H.P.)

Case No.: 19/2024 Date of Instt.: 08-07-2024 Date of Decision: 23-08-2024

- Sh. Anil Sharma s/o Sh. Bhagat Ram aged 36 years, r/o Village Devri, P.O. Garkhal, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.).
- Mrs. Lalita Devi d/o Sh. Umed Ram aged 32 years, r/o Village Devri, P.O. Garkhal, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.).

#### Versus

## General Public

Notice under section 15 of the Special Marriage Act, 1954.

An application under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 has been received in this court from Sh. Anil Sharma s/o Sh. Bhagat Ram aged 36 years, r/o Village Devri, P.O. Garkhal, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.) (Bride Groom) and Mrs. Lalita Devi d/o Sh. Umed Ram aged 32 years, r/o Village Devri, P.O. Garkhal, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.) for the registration of their marriage u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954. The applicants have further declared in their affidavits dated 01-04-2024 that their marriage was solemnized on 31-05-2021 with each other. As such they have applied for registration of their marriage. Before taking further action in the said application, objections from the general public are invited for the registration of this marriage. The objections in this regard may be preferred in this court on or before 23-08-2024, failing which the marriage shall be got registered as per the provisions of the law.

Issued on 23-07-2024 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

> Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Kasauli, District Solan (H.P.).

## In the court of Sub-Divisional Magistrate-cum-Marriage Officer, Kasauli, District Solan (H.P.)

Date of Instt.: 08-07-2024 Case No.: 18/2024 Date of Decision: 23-08-2024

- Sh. Rishav s/o Sh. Naresh aged 29 years, r/o Village Chattian, P.O. Kasauli, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.).
- Mrs. Jyoti Rani d/o Sh. Pawan aged 30 years, r/o W. No. 2, Balmiki Basti, Ludhiana, Punjab at present residing at Village Chattian, P.O. Kasauli, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.).

Versus

General Public

Notice under section 15 of the Special Marriage Act, 1954.

An application under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 has been received in this court from Sh. Rishav s/o Sh. Naresh aged 29 years, r/o Village Chattian, P.O. Kasauli, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.) (Bride Groom) and Mrs. Jyoti Rani d/o Sh. Pawan aged 30 years, r/o W. No. 2, Balmiki Basti, Ludhiana, Punjab at present residing at Village Chattian, P.O. Kasauli, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.) for the registration of their marriage u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954. The applicants have further declared in their affidavits dated 13-06-2024 that their marriage was solemnized on 30-01-2023 with each other. As such they have applied for registration of their marriage. Before taking further action in the said application, objections from the general public are invited for the registration of this marriage. The objections in this regard may be preferred in this court on or before 23-08-2024, failing which the marriage shall be got registered as per the provisions of the law.

Issued on 23-07-2024 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Kasauli, District Solan (H.P.).

## In the court of Sub-Divisional Magistrate-cum-Marriage Officer, Kasauli, District Solan (H.P.)

Case No.: 17/2024 Date of Instt.: 08-07-2024 Date of Decision: 23-08-2024

- 1. Sh. Anil s/o Sh. Jit Singh aged 43 years, r/o Rajkot Cottage, R & T Wing, C.R.I. Kasauli, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.).
- 2. Mrs. Babli d/o Sh. Mohan Singh aged 39 years, r/o Village & P.O. Lawa, Tehsil Narender Nagar, Distt. Tehri, Uttrakhand at present residing at Rajkot Cottage, R & T Wing, C.R.I. Kasauli, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.).

#### Versus

## General Public

Notice under section 15 of the Special Marriage Act, 1954.

An application under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 has been received in this court from Sh. Anil s/o Sh. Jit Singh aged 43 years, r/o Rajkot Cottage, R & T Wing, C.R.I. Kasauli, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.) (Bride Groom) and Mrs. Babli d/o Sh. Mohan Singh aged 39 years, r/o Village & P.O. Lawa, Tehsil Narender Nagar, Distt. Tehri, Uttrakhand at present residing at Rajkot Cottage, R & T Wing, C.R.I. Kasauli, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.) for the registration of their marriage u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954. The applicants have further declared in their affidavits dated 20-06-2024 that their marriage was solemnized on 11-02-2008 with each other. As such they have applied for registration of their marriage. Before

taking further action in the said application, objections from the general public are invited for the registration of this marriage. The objections in this regard may be preferred in this court on or before 23-08-2024, failing which the marriage shall be got registered as per the provisions of the law.

Issued on 23-07-2024 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Kasauli, District Solan (H.P.).

In the court of Sub-Divisional Magistrate-cum-Marriage Officer, Kasauli, District Solan (H.P.)

Case No.: 15/2024 Date of Instt.: 08-07-2024 Date of Decision: 23-08-2024

- 1. Sh. Rakesh s/o Sh. Surjeet aged 26 years, r/o Village & P.O. Pratha, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.).
- 2. Mrs. Sangeeta d/o Sh. Pappu Ram aged 24 years, r/o Village Paploha, P.O. Kherawali, Tehsil Kalka, Distt. Panchkula, HR at present residing at Village & P.O. Pratha, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.).

Versus

#### General Public

Notice under section 15 of the Special Marriage Act, 1954.

An application under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 has been received in this court from Sh. Rakesh s/o Sh. Surjeet aged 26 years, r/o Village & P.O. Pratha, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.) (Bride Groom) and Mrs. Sangeeta d/o Sh. Pappu Ram aged 24 years, r/o Village Paploha, P.O. Kherawali, Tehsil Kalka, Distt. Panchkula, HR at present residing at Village & P.O. Pratha, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.) for the registration of their marriage u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954. The applicants have further declared in their affidavits dated 24-06-2024 that their marriage was solemnized on 15-02-2023 with each other. As such they have applied for registration of their marriage. Before taking further action in the said application, objections from the general public are invited for the registration of this marriage. The objections in this regard may be preferred in this court on or before 23-08-2024, failing which the marriage shall be got registered as per the provisions of the law.

Issued on 23-07-2024 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

## In the court of Sub-Divisional Magistrate-cum-Marriage Officer, Kasauli, District Solan (H.P.)

Case No.: 16/2024 Date of Instt.: 08-07-2024 Date of Decision: 23-08-2024

- 1. Sh. Shubham s/o Sh. Ishwar Singh aged 26 years, r/o Village & P.O. Garkhal, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.).
- 2. Mrs. Rekha d/o Sh. Shyam Lal aged 21 years, r/o Village Dharampur Bathol, P.O. Dharampur, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.).

#### Versus

## General Public

Notice under section 15 of the Special Marriage Act, 1954.

An application under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 has been received in this court from Sh. Shubham s/o Sh. Ishwar Singh aged 26 years, r/o Village & P.O. Garkhal, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.) (Bride Groom) and Mrs. Rekha d/o Sh. Shyam Lal aged 21 years, r/o Village Dharampur Bathol, P.O. Dharampur, Tehsil Kasauli, District Solan (H.P.) for the registration of their marriage u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954. The applicants have further declared in their affidavits dated 20-06-2024 that their marriage was solemnized on 05-07-2021 with each other. As such they have applied for registration of their marriage. Before taking further action in the said application, objections from the general public are invited for the registration of this marriage. The objections in this regard may be preferred in this court on or before 23-08-2024, failing which the marriage shall be got registered as per the provisions of the law.

Issued on 23-07-2024 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Kasauli, District Solan (H.P.).

## FINANCE (REGULATIONS) DEPARTMENT

### RESOLUTION

Shimla-171 002, the 31st July, 2024

**No. Fin.(C)A(3)-13** /2016.—It is announced for general information that during the year 2024-25, accumulations at the credit of subscribers to the General Provident Fund and other similar funds shall carry interest at the rate of 7.1 % (seven point one percent) w.e.f. 1st April, 2024 to 30th June, 2024.

Ordered that Resolution be published in Gazette of Himachal Pradesh.

By order,

Sd/-(DEVESH KUMAR), Pr. Secretary (Finance).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला—5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।